डिक्री

[न्याया]लय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :- श्रीमती शकुंतला चौधरी आर.ए.एस

73 / 2017

1. सींगाराम पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
3. बालूराम पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
4. औमप्रकाश पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा। –फौत
   4ए शकुन्तला उर्फ सुमित्रा पत्नी औमप्रकाश जाति बादी नि0 गांधीवड़ी।
   4बी राकेश पुत्र औमप्रकाश जाति बादी नि0 गांधीवड़ी।
   4सी मंजू पुत्री औमप्रकाश जाति बादी नि0 गांधीवड़ी।
5. संजय पुत्र दीपचंद जाति बादी नि0 गांधीवड़ी त0 भादरा।
6. अजीतसिंह पुत्र दीपचंद जाति बादी नि0 गांधीवड़ी त0 भादरा।

वादीगण

बनाम

1. बुधराम पुत्र नानूराम जाति बादी नि0 गांधीबड़ी तहसील भादरा। –फौत
   1ए सरोज पुत्री बुधराम जाति बादी नि0 गांधीबड़ी त0 भादरा।
   2ए सिलोचना पुत्री बुधराम जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   3ए कमला पत्नी जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   4ए नंदलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   5ए सुखदेव पुत्र जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   6ए ममता पुत्री जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।

प्रतिवादीगण

आज यह वाद मुझ शकुंतला चौधरी उपखण्ड अधिकारी भादरा के समक्ष वकील वादी श्री किशनलाल यादव व वकील प्रतिवादीगण श्री जगदीश प्रसाद महला की उपस्थिति में निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीगण साबित नहीं होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करें।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा जिला हनुमानगढ़

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़

पीठासीन अधिकारी :–श्रीमती शकुंतला आर.ए.एस.

73/2017

1. सींगाराम पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
2. महेन्द्र पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
3. बालूराम पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा।
4. औमप्रकाश पुत्र नानूराम जाति बादी निवासी गांधीवड़ी त0 भादरा। –फौत
   4ए शकुन्तला उर्फ सुमित्रा पत्नी औमप्रकाश जाति वादी नि0 गांधीवडी।
   4बी राकेश पुत्र औमप्रकाश जाति बादी नि0 गांधीवड़ी।
   4सी मंजू पुत्री औमप्रकाश जाति बादी नि0 गांधीबड़ी।
5. संजय पुत्र दीपचंद जाति बादी नि0 गांधीबड़ी त0 भादरा।
6. अजीतसिंह पुत्र दीपचंद जाति बादी नि0 गांधीबड़ी त0 भादरा। **–वादीगण**

बनाम

1. बुधराम पुत्र नानूराम जाति बादी नि0 गांधीबड़ी तहसील भादरा। –फौत
   1ए सरोज पुत्री बुधराम जाति बादी नि0 गांधीबड़ी त0 भादरा।
   2ए सिलोचना पुत्री बुधराम जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   3ए कमला पत्नी जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   4ए नंदलाल पुत्र जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   5ए सुखदेव पुत्र जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा।
   6ए ममता पुत्री जगदीश प्रसाद जाति बादी निवासी गांधीबड़ी त0 भादरा। –प्रति0 गण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी अधिनियम

उपस्थिति :– श्री किशनलाल यादव **वादीगण**
श्री जगदीश प्रसाद महला प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 13.02.23

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं0 04/04 में मु0न0 31 किला न0 1 ता 20, मु0न0 39 के किला न0 17 ता 24 व मु0न0 40 के किला न0 16, 25 की कुल 7.590है0 नहरी खातेदारी जिसमें प्रतिवादी बुधराम व श्योलाल के नाम से 200 हिस्सा भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है।

वादी व प्रतिवादीगण हिन्दू है तथा हिन्दू विधि व रिति–रिवाज से शासित है। वाद भूमि वादीगण की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादी व प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण के दादा मानाराम के श्योलाल व नानूराम वादीगण के पिता, दो पुत्र थे। जिसमें वादीगण के पिात नानूराम का देहान्त हो गया। नानूराम के वारिसान वादीगण व प्रतिवादी

...ो में बतौर पक्षकारान उपस्थित है। वाद भूमि श्योलाल व नानूराम दोनों की संयुक्त ...ो से पैदा की हुई कृषि भूमि थी। जिसे श्योलाल व नानूराम दोनों बराबर काश्त करते ...वादीगण के पिता

...नूराम के देहान्त 2005 में हो जाने पर प्रतिवादी बुधराम कर्ता खानदान होने के कारण वाद ...भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली। लेकिन वाद भूमि में वादीगण तथा प्रतिवादी का ...जन्म से हक हिस्सा निहित है। इस प्रकार वाद भूमि में वादीगण अपने हकों की घोषणा करवा ...जाने के कानूनी अधिकारी है। यही बिनाय मुखासमत है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलव किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादीगण व प्रतिवादीगण ने आपसी सहमती से राजीनामा पेश किया।

साक्ष्यवादी में वादी महेन्द्र पुत्र नानूराम द्वारा साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। जिसमें नकल जमाबन्दी 2 एसडीआर खाता सं0 4/4 प्रदर्श 1प्रदर्शित करवाये।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने निवेदन किया वाद भूमि वादी की पैतृक सम्पति है। जिसमें वादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। वादीगण के पिता नानूराम का देहान्त होने के बाद वाद भूमि को अकेले प्रतिवादी बुधराम ने अपने नाम दर्ज करवा ली। वाद भूमि में वादीगण के साथ साथ प्रतिवादीगण का जन्म से हक हिस्सा निहित है। अतः मुताबिक राजीनामा वाद वादीगण स्वीकार किये जाने का निवेदन है। जिस पर वकील प्रतिवादीगण ने भी सहमती प्रकट की।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। प्रस्तुत प्रकरण में वादीगण ने रोही मौजा चक 2 एसडीआर के खाता सं0 04/04 में मु0न0 31 किला न0 1 ता 20, मु0न0 39 के किला न0 17 ता 24 व मु0न0 40 के किला न0 16, 25 की कुल 7.590है0 नहरी खातेदारी जिसमें प्रतिवादी बुधराम व श्योलाल के नाम से 200 हिस्सा भूमि संयुक्त रूप से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है में अपने हकों की घोषणा चाही है। पत्रावली में प्रस्तुत जमांबदी में उक्त वाद भूमि श्योलाल व बुधराम के नाम संयुक्त रूप से 200 हिस्सा दर्ज रिकार्ड है। वादीगण ने अपनी पैतृक सम्पति के आधार पर उक्त वाद न्यायालय हाजा में पेश किया है। प्रस्तुत पत्रावली में वादीगण द्वारा किसी भी प्रकार ऐसा साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है जिससे वादीगण ये साबित कर सके कि उक्त वाद भूमि वादीगण व प्रतिवादीगण की पैतृक सम्पति है। वादीगण के कथन के मुताबिक कि उक्त वाद भूमि कर्ता खान–दान होने के कारण प्रतिवादी बुधराम ने अपने नाम दर्ज करवा ली, के संबंध में ग्राम पंचायत अथवा तहसील द्वारा तस्दीक नामान्तरण पेश नहीं किया है जिससे ये साबित हो कि प्रतिवादी ने नानूराम के अन्य वारिसान को छोड़कर वाद भूमि को तन्हा अपने नाम दर्ज करवा ली हो। वादीगण ने उक्त वाद पैतृक सम्पति के आधार पर पेश किया है लेकिन पैतृक या सहदायिकी सम्पति के आधार पर दावा की पुष्टि के लिए कोई भी मौखिक या दस्तावेजी साक्ष्य पत्रावली में प्रस्तुत नहीं किया गया है।

उपखण्डाधिकारी (राज...
...भादरा (जिला-हनुमान...

अतः उपरोक्त विवेचानुसार यह स्पष्ट है कि वादीगण व प्रतिवादीगण क्लीन हैड्ं से ...य में हाजिर नहीं हुए है तथा पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों के अवलोकन तथा अपूर्ण ...ली साक्ष्य से यह स्पष्ट है कि वादीगण द्वारा प्रस्तुत वाद राजस्थान काश्तकारी ...यम की धारा 88 की परिधि मे ना होकर तथा वर्णित प्रावधानों के विपरित होने से संपति ...रण अधिनियम 1882 की धारा 6 के अन्तर्गत प्रतित होता है। अतः वाद वादीगण अन्तर्गत ...ा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 साबित नहीं होने के कारण खारिज किया ...ता है। खर्चा उपभयपक्षकारान अपना–अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(शकुंतला चौधरी)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़